<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u> <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052022-236118 CG-DL-E-30052022-236118

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2339] No. 2339] नई दिल्ली, सोमवार, मई 30, 2022/ज्येष्ठ 9, 1944 NEW DELHI, MONDAY, MAY 30, 2022/JYAISHTHA 9, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2022

का.आ. 2466(अ).—केन्द्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) संख्यांक का.आ. 1377(अ) दिनांक 28 मार्च, 2022 में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम और रोज़गार मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948(1948 का 34) के उपबंधों को उस अधिसूचना की तारीख से एक मास के पश्चात् उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थापनों की कतिपय श्रेणियों पर विस्तारित करने के आशय की सूचना दी थी;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 28 मार्च, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थी:

और उक्त अधिसूचना के संबंध में एक मास की उक्त अवधि के भीतर कोई आक्षेप तथा सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः अब केंद्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से, उक्त अधिनियम के उपबन्धों को 1 जून, 2022 से प्रभावी अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट तथा स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित स्थापनों की श्रेणी पर विस्तारित करती है, अर्थात्:-

3613 GI/2022 (1)

अनुसूची

	स्थापनाओं का विवरण	क्षेत्र जिनमें स्थापन स्थित है ।
	(1)	(2)
	वेत स्थापन जिनमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह केसी दिन नियोजित थे, अर्थात् :-	अंडमान और निकोबार संघ राज्यक्षेत्र के वे सभी क्षेत्र जहां उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (3) के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबंध पहले ही प्रकृत्त किए जा चुके है।
(i)	दुकानें;	
(ii)	होटल;	
(iii)	रेस्तरां;	
(iv)	सड़क मोटर परिवहन स्थापन;	
(v)	पूर्व-दर्शन थियेटर सहित सिनेमा;	
(vi)	श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955(1955 का 45) की धारा 2 के खण्ड (घ) में यथा परिभाषित समाचार स्थापन;	
(vii)	वैयक्तिक, न्यास, सोसाइटी या अन्य संगठन द्वारा चलाए जाने वाले (सार्वजनिक, निजी, सहायता-प्राप्त या आंशिक रूप से सहायता-प्राप्त सहित) शैक्षिक संस्थान;	
(viii)	चिकित्सा संस्थान (निगमित, संयुक्त क्षेत्र, न्यास, धर्मार्थ तथा निजी स्वामित्व वाले अस्पताल, नर्सिंग होम, नैदानिक केन्द्र, विकृति विज्ञान प्रयोगशालाओं सहित);	

[फा. सं. एस-38025/03/2021-एस.एस.-I]

आर.के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2022

S.O. 2466(E).—Whereas, by a notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1377(E), dated the 28th March, 2022, the Central Government, in consultation with the Employees' State Insurance Corporation, gave notice of its intention to extend the provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) to certain classes of establishments specified in the Schedule to the said notification after one month from the date of that notification;

And whereas, the copies of the said notification were made available to the public on the 28^{th} March, 2022;

And whereas, no objections and suggestions have been received within the said period of one month in respect of the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948(34 of 1948), the Central Government, in consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby extends the provisions of the said Act to the classes of establishments specified in column (1) and situated within the areas specified in column (2) of the Schedule hereto, with effect from the 1st day of June, 2022, namely:-

SCHEDULE

	Description of establishments	Areas in which the establishments are situated
(1)		(2)
The following establishments, wherein ten or more persons are employed, or were employed, on any day of the preceding twelve months, namely:-		Areas of the Union territory of Andaman and Nicobar Islands, where the provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948(34 of
(i)	Shops;	
(ii)	Hotels;	
(iii)	Restaurants;	
(iv)	Road motor transport establishments;	
(v)	Cinemas including preview theatres;	
(vi)	Newspaper establishments as defined in clause (d) of section 2 of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955);	
(vii)	Educational Institutions (including public, private, aided or partially aided) run by an individual, trust, society or other organisation;	
(viii)	Medical institutions (including corporate, joint sector, trust, charitable and private ownership hospitals, nursing homes, diagnostic centres and pathological labs).	

[F. No. S-38025/03/2021-SS-I]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.